कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2623 /12–1 :देहरादून:दिनांकः 29 अप्रैल, 2025

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
उत्तराखण्ड शासन।

वन अनुभाग–03

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत भाटगाड़ा फड़ियाली नायल पभ्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाईन प्रस्ताव सं0–FP/UK/ROAD/38955/2019)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/92/2020/एफ0सी0/750 दिनांक 22.09.2020 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या 1654 दिनांक 10.01.2023। (प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या हार्ड प्रति में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1654 दिनांक 10.01.2023 ***(छायाप्रति संलग्न)*** द्वारा पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 25–04–2025 को अपलोड किया गया है, जिसके क्रम में वर्तमान में इस कार्यालय द्वारा ऑनलाईन आपको प्रेषित की जा रही है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः मय संलग्नकों सहित हार्ड प्रति/ऑनलाईन इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रश्नगत प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अग्रसारित करना चाहें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

संख्या–2623 /12–1 दिनांकित।

प्रतिलिपि – उप वन महानिरीक्षक (के0), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून को इस कार्यालय के पत्र दिनांक 10–01–2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

168

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com; Fax/☎ 05964-225234

पत्रॉकः– 5564 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 17, मार्च, 2025।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत भाटगाड़ा फड़ियाली नायल पम्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– इस कार्यालय का पत्रांक 3009 / 12–1 दिनांक 15.12.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में इस कार्यालय के संदर्भित पत्र द्वारा पूर्व में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या प्रेषित की गयी थी, जिसमें वर्तमान तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं हुयी है।

अतः सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अनुपालन आख्या की छायाप्रति पुनः सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नः– यथोक्त।

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्रांक 4415
पत्रावली 12-1
दिनांक 4-4-25

भवदीय,

(आशुतोष सिंह)
प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रभारी पिथौरागढ़
आ० का० कार्य।

उ० व० सं० / नो०
2-4-25

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः– 3009 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 15 दिसम्बर, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत भाटगाड़ा फडियाली नायल पभ्या . मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/92/2020/एफ0सी0/750 दि 22.09.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तााविक विभाग द्वारा मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभकिरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तााविक विभाग द्वारा मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.2हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काकड़ा खसरा संख्या 157,159,160,322,323,393,1034,1038,1104,1129,1170,1171,1305,1342, 1395,1399,1375,436,1485,1578,1580,1581में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.2 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काकड़ा खसरा संख्या 157,159,160,322,323,393,1034,1038, 1104,1129,1170,1171,1305,1342,1395,1399,1375,436,1485,1578,1580,1581 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुये मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख)गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं **Notification** करने के पश्चात् ही इस कायालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेंगी। **guideline para** 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधनियिम, 1927 के अर्न्तगत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 3(ग) के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1852/7–57/2021–22 दिनांक 30.06.2022 द्वारा 11.88 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी हैं। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 4–4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
	(घ)The KML files of the area to be diverted, the CA areas,the proposed SMS work proposed catch ment Area Treatment area and the WLMP area Shall be aploaded the e- green watch portal with all requisite details before issuing working permission towords liner project or submitting compliance report for seeking Stage-ii approval,as the case may be.	ई–ग्रीनवाच पोर्टल में सम्बन्धित फाइलों को अपडेट किया जा रहा है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि

01C

	की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रमि रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	बाऊचर संख्या 89 दिनांक 24–03–2022(आई0डी0W038014229 03221001 दिनांक 22–03–2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 4–4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **WP (C)** संख्या 202/1995 में **IA** नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 /1998–एफ.सी. (**Pr- 2**) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.6 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाऊचर संख्या89दिनांक24–03–2022(आई0डी 0W03801422903221001 दिनांक 22–03–2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शपथ पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 105 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जगा की जाएगी।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
11	संरक्षति क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमत साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
14	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापति नहीं किया जाएगा।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।

	सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तााावक विभाग द्वारा मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रस्तााावक विभाग द्वारा मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तााावक विभाग द्वारा मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–**FC** दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रस्तााावक विभाग द्वारा मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तााावक विभाग द्वारा मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों वन इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीना से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीना से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तााावक विभाग द्वारा मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तााावक विभाग द्वारा मान्य है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्ते विभाग को मान्य होगी।

संलग्नः– चार प्रतियों में।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– 3009 /12-1 दिनांकित।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

O/C

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 1654 / FP/UK/ROAD/38995/2019 :देहरादूनः दिनांकः 10 जनवरी, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,
25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ के विधानसभा गंगोलीहाट क्षेत्र के अंर्तगत भाटगाड़ा फडियाली नायल पम्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु **3.60 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के संबध में।**

संदर्भः– भारत सरकार, पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून का पंत्राक–8 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 92 / 2020 / एफ0सी0 / 750, दिनांक–22.09.2020 **(प्रति संलग्न)**

महोदय,

भारत सरकार, के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737 / 12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009 / 12–1, दिनांक–15.12.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क0 स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737 / 12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009 / 12–1, दिनांक–15.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग उक्त शर्त का अनुपालन किया जायेगा।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभकिरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737 / 12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009 / 12–1, दिनांक–15.12.2022द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग उक्त शर्त का अनुपालन किया जाएगा।
3	प्रतिपूरक वनीकरण (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.2हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काकड़ा खसरा संख्या 157,159,160,322,323,393,1034,1038,1104,1129,1170,1171,1305,1342,1395,1399,1375,436,1485,1578,1580,1581 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737 / 12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009 / 12–1, दिनांक–15.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.2 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काकड़ा खसरा संख्या 157,159,160,322,323,393,1034,1038,1104,1129,1170,1171,1305,1342,1395,1399,1375,436,1485,1578,1580,1581 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुये मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख)गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात ही इस कायालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेंगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737 / 12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009 / 12–1, दिनांक–15.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या 3(ग) के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1852 / 7–57 / 2021–22 दिनांक 30.06.2022 द्वारा 11.88 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी हैं। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 4–4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

	वन अधनियिम, 1927 के अर्न्तगत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	उक्त अनुपालन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊं वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737/12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009/12–1, दिनांक–15.12.2022द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त शर्त से संबधित प्रमाण पत्र संलग्न है।
	(घ)The KML files of the area to be diverted, the CA areas,the proposed SMS work proposed catch ment Area Treatment area and the WLMP area Shall be aploaded the e- green watch portal with all requisite details before issuing working permission towords liner project or submitting compliance report for seeking Stage-ii approval,as the case may be	ई–ग्रीनवाच पोर्टल में सम्बन्धित फाइलों को अपडेट किया जा गया है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737/12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009/12–1, दिनांक–15.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या–4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि बाऊचर संख्या 89 दिनांक 24–03–2022(आई0डी0W03801422903221001 दिनांक 22–03–2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 4–4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै। उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **WP (C)** संख्या 202/1995 में **IA** नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 /1998–एफ.सी. **(Pr- 2)** दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ. सी. दिनांक 03.10. 2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.6 हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737/12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009/12–1, दिनांक–15.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शर्त संख्या–5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाऊचर संख्या89दिनांक24–03–2022(आई0डी0W03801422903221001 दिनांक 22–03–2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। **(प्रति संलग्न)** आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737/12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009/12–1, दिनांक–15.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि शपथ पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 105 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737/12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009/12–1, दिनांक–15.12.2022द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेडो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 105 tree से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ो की कटाई की लागत जमा की जाएगी।

7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित / जमा किये जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सडक के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
11	संरक्षति क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमत साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
14	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापति नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के विना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42 / 2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

22	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों वन इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीना से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737/12–1(2) दिनांक–22.12.2022 एवं प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़, वन प्रभाग, पिथौरागढ़ पत्र सं0 3009/12–1, दिनांक–15.12.2022 द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालयआदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

अतः प्रश्नगत प्रकरण में वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा/प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या के क्रम में वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या– 1654 / FP/UK/ROAD/38995/2019 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–1737/12–1(2) दिनांक–22.12.2022 के क्रम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।
3. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग।

भवदीय,

(एस0एस0रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

(168)

पत्रांक – 1737 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 22-12-2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ के विधानसभा गंगोलीहाट क्षेत्र के अन्तर्गत भाटगाड़ा फडियाली नायल पभ्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 92 / 2020 / एफ0सी0 / 750 दिनांक 22.09.2021।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 3009 / 12–1 दिनांक 15.12.2022 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सा॰ अ॰ / प्रभारी पिथौरागढ़
आ॰ का॰ करें।

अ॰प्र॰व॰सं॰ / नो॰
31-12-22

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण,भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 3381
पत्रावली 215
दिनांक 31-12-22

20 DEC 2022

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः– 3009 /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 15- दिसम्बर, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, अल्मोड़ा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत भाटगाड़ा फडियाली नायल पभ्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/92/2020/एफ0सी0/750 दि 22.09.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क0 स0	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रस्तााविक विभाग द्वारा मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभकिरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रस्तााविक विभाग द्वारा मान्य है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरण** (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.2हे0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काकड़ा खसरा संख्या 157,159,160,322,323,393,1034,1038,1104,1129,1170,1171,1305,1342, 1395,1399,1375,436,1485,1578,1580,1581में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.2 है0 सिविल सोयम भूमि ग्राम काकड़ा खसरा संख्या 157,159,160,322,323,393,1034,1038, 1104,1129,1170,1171,1305,1342,1395,1399,1375,436,1485,1578,1580,1581 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुये मिश्रित वृक्षारोपण किया जायेगा।
	(ख)गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं **Notification** करने के पश्चात् ही इस कायालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेंगी। **guideline para** 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर हैं एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात भारतीय वन अधनियिम, 1927 के अर्न्तगत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	शर्त संख्या 3(ग) के अनुपालन में जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के आदेश संख्या 1852/7–57/2021–22 दिनांक 30.06.2022 द्वारा 11.88 है0 राज्य भूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वनविभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण कर दी गयी हैं। दाखिल खारिज की हार्ड कापी 4–4 प्रतियों में प्रेषित की जा रही है। उक्त अनुपालन आख्या आन लाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत् वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	प्रमाण पत्र संलग्न है।
	(घ)The KML files of the area to be diverted, the CA areas,the proposed SMS work proposed catch ment Area Treatment area and the WLMP area Shall be aploaded the e- green watch portal with all requisite details before issuing working permission towords liner project or submitting compliance report for seeking Stage-ii approval,as the case may be.	इ–ग्रीनवाच पोर्टल में सम्बन्धित फाइलों को अपडेट किया जा रहा है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण	शर्त संख्या–4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि

	की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रमि रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यो के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	बाऊचर संख्या 89 दिनांक 24–03–2022(आई0डी0W038014229 03221001 दिनांक 22–03–2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 4–4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस सबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **WP (C)** संख्या 202/1995 में **IA** नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03. 2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 /1998–एफ.सी. (**Pr- 2**) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006– एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा–निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.6 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	शर्त संख्या–5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाऊचर संख्या89दिनांक24–03–2022(आई0डी 0W03801422903221001 दिनांक 22–03–2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 5–5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रहीहै।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शपथ पत्र संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 105 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोटल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
11	संरक्षति क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमत साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
13	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
14	वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापति नहीं किया जाएगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।
16	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की	प्रस्तावक विभाग द्वारा मान्य है।

	सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर आर०सी०सी० पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जाएगी।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
20	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधनियिम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–**FC** दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर काय्रवाई होगी।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
21	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
22	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों वन इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीना से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नही किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण मलवा निस्तारण योजना के अनुसार पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि यह अनावश्यक रूप से तय सीना से नीचे न गिरे। किसी भी प्रकार से मलवा निस्तारण वन भूमि पर नहीं किया जायेगा। शर्त मान्य है।
23	यदि कोई अन्य अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होता है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेगा राज्य सरकार / प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।
24	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) पर अपलोड की जायेगी।	प्रस्ताावक विभाग द्वारा मान्य है।

उक्त के अतिरिक्त अन्य सभी शर्ते विभाग को मान्य होगी।

संलग्नः– चार प्रतियों में।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– / दिनांकित।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग़ को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

ग्राम - कांकड़ा तहसील - गणाई गंगोली नकल उद्धरण खतौनी (गै० ज० भि०)
पट्टी - गणाई जनपद - पिथौरागढ़ श्रेणी - 10(4) बंजर नाकाबिल आबाद

खाता संख्या	खातेदार का नाम	भौमिक अधिकार का वर्ष	खसरा संख्या	रकबा (है०)	लगान	आदेशों का विवरण
1	2	3	4	5	6	7 - 12
२४	बंजर भिड़ा	—	20	0.004		[illegible] 06/2021/2020 [illegible] दिनांक 22.03.2021 [illegible] गंगोलीहाट [illegible] के बदले [illegible] हस्तान्तरण [illegible] स्वीकृति [illegible] की गयी है।
			24	0.004		आयुक्त [illegible] 2373 [illegible] दिनांक 17.12.2012 [illegible] के बदले [illegible] गणाई तहसील गणाई गंगोली [illegible]
			45	0.024		157 रकबा 0.300 हे०, 159 रकबा 0.303 हे०, 160 रकबा 0.130 हे०, [illegible]
			54	0.103		[illegible] 1104 रकबा 0.101 हे०, [illegible]
			84	0.083		[illegible] 1305 रकबा [illegible]
			88	0.008		1375 रकबा 0.650 हे०, [illegible]
			93	0.020		[illegible] 1580 रकबा 0.135 हे०, [illegible] कुल 22 खेतों की [illegible]
		हाल बंदोबस्त वर्ष	↑ क्रमशः ↓	↑ क्रमशः ↓		[illegible]
			1551	0.005		
			1578	0.023		
			1580	0.135		
			1581	0.170		
		योग	188	10.783		[illegible]

नकल अपठित

[illegible] 8.9.2022

[illegible] गणाई गंगोली

शर्त सं॰ 3

डायरी नं॰ 3057
फाईल नं॰ 27
दिनांक 06/09/2022

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या–8बी / यू.सी.पी. / 06 / 92 / 2020 / एफ.सी. / 750 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट में भाटगाड़ा–फडियाली–नायल–पभ्या तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.600 हे0 वन भूमि के बदले दोगुनी 7.200 हे0 राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2173 / XVIII(II) / 2012–18 (120) / 2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट में भाटगाड़ा–फडियाली–नायल–पभ्या तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.600 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम काकड़ा पट्टी गणाई तहसील गणाई गंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–24 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 157 रकवा 0.300 हे0, 159 रकवा 0.305 हे0, 160 रकवा 0.190 हे0, 322 मध्ये रकवा 0.800 हे0, 323 मध्ये रकवा 2.040 हे0, 393 रकवा 0.255 हे0, 436 रकवा 0.130 हे0, 1034 रकवा 0.165 हे0, 1038 रकवा 0.121 हे0, 1104 रकवा 0.101 हे0, 1129 रकवा 0.265 हे0, 1170 रकवा 0.190 हे0, 1171 मध्ये रकवा 0.120 हे0, 1305 रकवा 0.170 हे0, 1342 मध्ये रकवा 0.153 हे0, 1375 रकवा 0.650 हे0, 1395 रकवा 0.315 हे0, 1399 रकवा 0.130 हे0, 1485 मध्ये रकवा 0.265 हे0, 1578 रकवा 0.230 हे0, 1580 रकवा 0.135 हे0, 1581 मध्ये रकवा 0.170 हे0 कुल 22 खेतों की 7.200 हे0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण / नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गणाई गंगोली स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण / नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अगस्त, 26 , 2022

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या– 2594 / सात– 66 / 2021–22 दिनांक अगस्त, 26 , 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।
4. तहसीलदार गणाईगंगोली को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग।

(डॉ0 आशीष चौहान)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

O/C

शर्त सं० 4

Vr - सं० 89 दि० 24/3/22

Bill Type : Normal

...nt Date - 22-3-2022
...saction ID - WO3801422903221001

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र

वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१

(देंखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

...जनपद का नाम : पिथौरागढ़

...कोषागार का नाम : बेरीनाग

...अवधि कब से .... कब तक

1	0	3

...कोषागार का कोड

3	8	0	1

...की क्रम संख्या

3	1

...संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

0

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण	
मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

वाउचर दिनांक: _

...प्रभारित : मतदेय

...लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 ...लेखाशीर्षक + ...मुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 ...शीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4

...आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

...आहरण वितरण अधिकारी का कोड

4	2	2	9

...कार्यालय का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

...अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य ...अनुदान संख्या 14- सोर्स कोड :1 15- सेक्टर कोड :2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति			
...मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
...भूमि क्रय	35909536	35909536	0

भुगतान का विवरण	
मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	50,35,695
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**50,35,695**

...FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण	
77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	**50,35,695**

...किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की ...औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

खण्डीय लेखाकार अस्थाई खण्ड लो० नि० वि० बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग बेरीनाग (पिथौरागढ़)

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजेंसी के प्रकरण में ही लागू होगा) (पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग बेरीनाग (पिथौरागढ़)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

...रू0 50,35,695 (Rupees Fifty Lacs Thirty Five Thousand Six Hundred Ninety Five Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

...रू0 -

...रू0 50,35,695

Scanned by CamScanner

शर्त नं.4

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
3601422903221003 Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896138955547	5035695	0	0	5035695
				5035695	**0**	**0**	**5035695**

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Scanned by CamScanner

शर्त सं 4

Passed for Rs 50,35,695=00

...of Account Bhatgara Fadiyali Nayal Paryam)R

A.E.

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

सहायक अभियन्ता
अ० खं० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

...book Voucher No. 89 dt 24/3/22 dated.......

...aid by Cheque/Cash Rupees (50,35,695=...to C.A.M.P.A

...aid by me ......

...EIVED from the E.E.Ty. Div. in charge of P.W.D. Berinag

Division A.E. ....Division the sum of the

Fifty Lakh thirty five thousand six hundred Ninety Five only

...of work or purpose for which is made

...144/25 budget (N.P.V.) /2021-22

...-22 (Amount in Vernacular) दि० 28/2/22

...3801.42290... C/s for Rs 5035695-00

...22-22 Rs 5035695=

Signature of Payees

E. E.

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

...COPY

Union Bank of India

...N for CAMPA Funds

	...TY DIV PWD BERINAG
	...8955547
	...UCP/06/92/2020/FC
	...ARANCHAL
	...D Berinag Pithoragarh
	...5694.4/-

...ty-Five Thousand Six Hundred

...e as per following

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896138955547 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896138955547 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

Scanned by CamScanner

शर्त ०५

Vr - ... 89 ... 24/3/22 **Bill Type : Normal**

...nt Date - 22-3-2022
...saction ID - W03801422903221001

E-Sign

आकस्मिक देयक प्रपत्र
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१
(देखें अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

...का नाम : पिथौरागढ़
...का नाम : बेरीनाग
...अवधि कब से .... कब तक

1	0	3

...कोषागार का कोड

3	8	0	1

...की क्रम संख्या

3	1

...संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है) | 0 | वाउचर दिनांक | – |

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक -	(5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
उप मुख्य लेखा शीर्षक -	(04)District and other Roads
लघुशीर्षक -	(337)सडक निर्माण कार्य
उपशीर्षक -	(03)राज्य सेक्टर
ब्योरेवार शीर्षक -	(04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

...भारित : मतदेय

...शीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4 ...शीर्षक + ...मुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2 ...शीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	4	5	4

...आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग
...आहरण वितरण अधिकारी का कोड

4	2	2	9

...योजन कार्यालय का नाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

...अनुदान संख्या :(022)लोक निर्माण कार्य 14- सोर्स कोड :1 15- सेक्टर कोड :2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)
...अनुदान संख्या

बजट की वर्तमान स्थिति

...मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
...क्रय	35909536	35909536	0

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	50,35,695
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	**50,35,695**

FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	**50,35,695**

...प्रमाणित किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की ...औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर **नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर**

खण्डीय लेखाकार, अस्थाई खण्ड लो0 नि0 वि0 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग बेरीनाग (पिथौरागढ़)

(केवल काउन्टरसाइन्ड कंटीजेंसी के प्रकरण में ही लागू होगा) (पदनाम एवं कार्यालय की मुहर)

कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

...रु0 50,35,695 (Rupees Fifty Lacs Thirty Five Thousand Six Hundred Ninety Five Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।
...रु0 -
...रु0 50,35,695

शर्त नं. 5

कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के हस्ताक्षर

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
3801422903221003 Uttaranchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896138955547	5035695	0	0	5035695
				5035695	**0**	**0**	**5035695**

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

Scanned by CamScanner

शर्त सं. 5

Passed for Rs 50,35,695=00

...of Account Bhatgarea Padiyali Neyal Pavyam)R

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

A.E (See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

...book Voucher No. 89 dt 24/3/22 ...dated...

...aid by Cheque/Cash Rupees (50,35,695= ...to C.A.M.P.A

...aid by me ...

...EIVED from the E.E. Ty. Div. ... in charge of P.W.D. Berinag

Division ... A.E. ... Division the sum of the

Fifty Lakh thirty five thousand six hundred

...of work or purpose for which is made Ninety Five only

...T.S. 144/25 budget (N.P.V.)/2021-22

...-22 (Amount in Vernacular) दि० 28/2/22

...C/s For Rs 5035695-00

...22-3-22 Rs 5035695=

Signature of Payees

E. E.

अधिशासी अभियन्ता
कार्यदाई खण्ड, लो०नि०वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
अ० खं० लो० नि० वि०
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

...COPY

...nion Bank of India

...N for CAMPA Funds

...TY DIV PWD BERINAG	
...8955547	
...UCP/06/92/2020/FC	
...ARANCHAL	
...D Berinag Pithoragarh	
...5694.4/-	

...ty-Five Thousand Six Hundred

...as per following

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896138955547 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896138955547 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

शपथ पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त संख्या 5(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतरिक्ति राशि यदि कोई हो, जो अंतमि रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। इस आशय का शपथपत्र प्रस्तुत है।

कनिष्ठ अभियन्ता अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।	सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।	03/12/022 अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड,लो0नि0वि0,बेरीनाग।

CS CamScanner

परियोजना का नाम – जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में भाटगाडा फडियाली नायल पम्या मोटर मार्ग के निर्माण।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, उक्त परियोजना हेतु चयनित सी0ए0 क्षेत्र ग्राम – काकड़ा, पट्टी –गणाई, तहसील – गणाई गंगोली में पूर्व में किसी अन्य परियोजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नही किया गया है।

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उपराजिक
वनकोट
अनुभाग

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथोरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में भाटगाडा फडियाली नायल पभ्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 बेरीनाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम काकडा पट्टी गणाई, तहसील गणाई गंगोली के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0–23 श्रेणी–10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के कुल 22 खेतों की 7.20 हे0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 2594/सात–66/2021–22 दिनांक 26.08.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्राधिकारी
गंगोलीहाट
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

उपरा०/उपराजि०
वनकोट अनु०